दिनांक 29.11.2024
प्रेस विज्ञप्ति 41/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बुलन्दशहर/थाना गुलावठी

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 28/29.11.2024 की रात्रि थाना गुलावठी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान सनौटा नहर के पास बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त मोन्टी घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर, उत्तराखण्ड के विभिन्न थानों पर हत्या, हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना गुलावठी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मोन्टी निवासी ग्राम कुरली थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद मैनपुरी/थाना साइबर क्राइम

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **धोखाधड़ी के 45 हजार रूपये नगद**
- **03 मोबाइल फोन बरामद**

दिनांक 29.11.2024 को थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 02 अभियुक्तों 1–अयुष्मान 2–योगेश कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से धोखाधड़ी के 45 हजार रूपये नगद, 03 मोबाइल फोन बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो लोगो को आनलाइन इन्वेस्टमेन्ट कराने के नाम पर धोखाधड़ी की घटना कारित की जाती है।

इस सम्बन्ध में थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अयुष्मान निवासी विकास नगर थाना विकास नगर कमिश्नरेट लखनऊ।

2–योगेश कुमार निवासी ग्राम रारवढ़ी मुसैला थाना कुकनदुर देवरिया।

बरामदगी

1–धोखाधड़ी के 45 हजार रूपये नगद।

2–03 मोबाइल फोन।

जनपद रामपुर/थाना विलासपुर

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 03 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 29.11.2024 को थाना विलासपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नवीन मण्डी के पास से अभियुक्त सुरजीत को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 03 मोटर साइकिल बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना विलासपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुरजीत निवासी जगन्नाथपुर थाना मिलक जनपद रामपुर, हालपता ग्राम पिपलिया महतो थाना विलासपुर जनपद रामपुर।

बरामदगी

1–चोरी की 03 मोटर साइकिल।

- **जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–योगेन्द्र उर्फ योगी 2–अर्जुन 3–कन्हैया 4–अभियुक्ता को सश्रम आजीवन कारावास व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद गोरखपुर/थाना गगहा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा थाना गगहा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सिण्टू को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बाराबंकी/थाना फतेहपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 01 अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना फतेहपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 3 सपठित धारा 4(2) पॉक्सो

एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मो0 सारिक को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सीतापुर/थाना पिसावां (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना पिसावां पर पंजीकृत अभियोग में धारा 65(2) बीएनएस व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त विशाल को आजीवन कारावास व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद उन्नाव/थाना मौरावां (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 01 अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद उन्नाव पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद उन्नाव द्वारा थाना मौरावां पर पंजीकृत अभियोग में धारा 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त संजय कुमार को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद कौशाम्बी/थाना सैनी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 01 अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 06 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद कौशाम्बी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कौशाम्बी द्वारा थाना सैनी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अवधेश को 10 वर्ष के कारावास व 06 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बहराइच/थाना इकौना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 01 अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 70 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना इकौना पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रामगोपाल को 10 वर्ष के कारावास व 70 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

<u>एस0टी0एफ0–अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध रूप में आक्सीटोसीन इन्जेक्शन की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार, 2,21,960 एमएल (कीमत रूपये 39,55,327/–) आक्सीटोसीन बरामद।</u>

दिनॉकः 29–11–2024 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध रूप में आक्सीटोसीन इन्जेक्शन की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 2,21,960 एमएल आक्सीटोसीन (कीमत लगभग रूपये 39,55,327/–) बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण :–</u>

1– शहजाद पुत्र अकबर निवासी आदर्श नगर बरौरा हुसैन बाड़ी बालागंज लखनऊ मूल पता लक्ष्मी गार्डन मदीना मस्जिद इंदिरा पुरी थाना लोनी जिला गाजियाबाद।

2– इमरान पुत्र कल निवासी मकान नंबर 54 फातिमा मस्जिद के पास थाना ठाकुरगंज जनपद लखनऊ।

<u>बरामदगी :–</u>

1– कुल 2,21,960 एमएल आक्सीटोसीन (1135 अदद 10 एमएल व 1110 अदद 180 एमएल)
(कीमत लगभग रूपये 39,55,327/–)

2– 5230 अदद खाली बोतल (2065 अदद 180 एमएल) (285 अदद 100 एमएल) (635 अदद 10 एमएल)

3— 09 अदद सीलिंग मशीन (प्लास्टिक बोतल सील करने हेतु)

4— 1000 पैकेट अल्मुनियम सेल।

5— 01 डिब्बा रबर स्टॉपर।

6— 01 बण्डल एलमुनियम सिल्वर कलर की पॉलीबैग।

7— रूपये 9,050／— नगद।

<u>गिरफ्तारी का दिनांक/समय व स्थानः—</u>

दिनाँक—29—11—2024 समय 15.10 बजे, आदर्श नगर बरौरा हुसैन बाड़ी बालागंज थाना ठाकुरगंज, लखनऊ।

विगत कुछ दिनों से एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को बिहार राज्य से अवैध रूप में आक्सीटोसीन इन्जेक्शन की तस्करी करने वाले शातिर तस्करों के सक्रिय होने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों／टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री अमित कुमार नागर, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

उ0नि0 श्री विनोद कुमार सिंह के नेतृत्व में मु0आ0 अशोक गुप्ता, राजेश मौर्य, रूद्र नारायण उपाध्याय, रवि वर्मा, चालक योगेन्द्र यादव एसटीएफ उ0प्र0 लखनऊ की एक टीम अभिसूचना संकलन के क्रम में जनपद लखनऊ में भ्रमणशील थी। इस दौरान सूचना मिली कि कुछ लोग गिरोह बनाकर बिहार राज्य से भारी मात्रा में आक्सीटोसीन इन्जेक्शन मंगाकर लखनऊ एवं आस—पास के जनपदों में इसकी अवैध रूप से सप्लाई करते है। यह भी ज्ञात हुआ कि इस गिरोह द्वारा आक्सीटोसीन इन्जेक्शन में फिनाइल का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि जनवरों सहित जन मानस के लिए भी बहुत ही घातक है। इस गिरोह के कुछ सदस्य आदर्श नगर बरौरा हुसैन बाड़ी बालागंज थाना ठाकुरगंज, लखनऊ स्थित एक मकान में फिलिंग का कार्य करते है।

इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा औषधि निरीक्षक श्री संदेश मौर्या व निलेश कुमार शर्मा को साथ लेकर उक्त स्थान पर पहुॅचकर देखा गया तो वहॉ पर मौजूद 02 व्यक्तियों द्वारा आक्सीटोसीन इन्जेक्शन की अलग—अलग शीशियों में फिलिंग करते हुए पाया गया। जिस पर उन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा मौके से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि इनका एक गिरोह है, जो लखनऊ एवं आस–पास के जनपदों में अवैध रूप से आक्सीटोसीन इन्जेक्शन की सप्लाई करता है। यह लोग दिल्ली राज्य से हाई डेनिसिटी के आक्सीटोसीन इन्जेक्शन पार्सल के माध्यम से किसी मिनरल वाटर बताकर मंगाते है, जिसे आवश्यकतानुसार अपने हिसाब से अलग अलग साइज के एम्पुल में पैक करके उसकी सप्लाई लखनऊ एवं आस–पास के जनपदों में करते है इस इन्जेक्शन का इस्तेमाल पशुओं के दुध निकालने, सब्जियों एवं फलों को कम समय में अधिक विकसित होने आदि के लिए किया जाता है।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक–14–08–2024 बंग्ला बाजार चौराहा से तेलीबाग रोड पर सिचाई विभाग, कालोनी के सामने, थाना–क्षेत्र आशियाना, लखनऊ से भी आक्सीटोसीन इन्जेक्शन की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सक्रिय सदस्यों को 36 पेटी (लगभग 2,80,899 एम्पुल) आक्सीटोसीन के साथ गिरफ्तार किया गया था।

स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के गजट नोटिफिकेषन संख्याः 242(ई) दिनांक 03–04–2001 द्वारा औषधि एवं प्रशाधन नियमावली–1945 के नियम 105 के अन्तर्गत आक्सीटोसीन इन्जेक्शन के विक्रय को मात्र सिंगल यूनिट ब्लिस्टर पैक में ही प्राविधानिक किया गया है। अवैध रूप में आक्सीटोसीन का व्यापार करना जन मानस के जीवन को संकट उत्पन्न होने की प्रबल सम्भावना होती है। इस इन्जेक्शन में फिनायल के मिलावट के तथ्यों के सम्बन्ध में उसका सैम्पल लेकर परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना ठाकुरगंज, जनपद लखनऊ में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा हैं, अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

——————